

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 412/2022 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेसन)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, पता ग्यारवी मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क,
गनपत्राओ कदम मार्ग लोअर पारेल, मुम्बई, शाखा वी गुमान फर्स्ट फ्लोर, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री माया देवी पत्नी स्व. किशोर कुमार मकवाना, विधिक प्रतिनिधि मृतक स्व. श्री किशोर कुमार मकवाना
2. पुनित मकवाना पुत्र स्व. किशोर कुमार मकवाना, विधिक प्रतिनिधि मृतक स्व. श्री किशोर कुमार मकवाना
पता :- शॉप नम्बर 92, राम नगर कालोनी, शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर 15, जयपुर।
एवं 23, मुरलीपुरा विकास नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।
एवं न्यू जोधपुर सैलून 92, राम नगर कालोनी, शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर 15, जयपुर।
3. माया देवी उर्फ माया मकवाना पत्नी स्व. किशोर कुमार मकवाना
पता :- 23, मुरलीपुरा विकास नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।
एवं शॉप नम्बर 92, राम नगर कालोनी, शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर 15, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 14.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री किशोर कुमार मकवाना के स्वामित्व की व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नम्बर 92, नाहरी का नाका, चौकडी हवाली शहर, नाहरी का नाका (पूर्व) राम नगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज को बन्धक रख कर 35,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा

५५
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकृतता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरता से अवलोकन किया गया।
 3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सस्फेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
 4. पत्रावली 35,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिराकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण चसूली के लिए बकाया ऋण राशि 41,14,555/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में चसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
 5. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री किशोर कुमार मकवाना के स्वामित्व की व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नम्बर 92, नाहरी का नाका, चौकड़ी हवाली शहर, नाहरी का नाका (पूर्व) राम नगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



7. आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर